Sanjay Singh, I.A.S.
State Project Director

बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्
शिक्षा भवन, राष्ट्रभाषा परिषद् परिसर,
सैदपुर, राजेन्द्रनगर, पटना–04

Bihar Education Project Council
Shiksha Bhawan, ashtrabhasha Parishad Campus,
Saidpur, Rajendra Nagar, Patna-04

पत्रांक : EFE/40/Part-1/2012-13/ 658 दिनांक : 9/8/17

सेवा में,

जिला शिक्षा पदाधिकारी,
सभी जिला।

विषयः निजी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक/शिक्षिकाओं को D.EL.Ed कोर्स के अंतर्गत प्रशिक्षण के संबंध में।

2009
17.8.17

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध मे कहना है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार का पत्र ई–मेल द्वारा दिनांक 02.08.2017 को इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है। प्राप्त पत्रानुसार, शिक्षा अधिकार कानून के तहत सभी अप्रशिक्षित शिक्षक जो सरकारी/निजी विद्यालय में कार्यरत हैं, को 31 मार्च, 2019 तक D.EL.Ed कोर्स के अंतर्गत प्रशिक्षित होना अनिवार्य किया गया है। इन विद्यालय में कार्यरत शिक्षक/शिक्षिकाओं के लिए NIOS के माध्यम से एवं MHRD SWYAM प्लेटफॉर्म के द्वारा 18 महीने का ऑनलाईन कोर्स के तहत् निजी सम्पर्क कक्षा के द्वारा प्रशिक्षित होना होगा। जो शिक्षक/शिक्षिका उपरोक्त अवधि में उक्त कोर्स नहीं कर सकेंगे, वो सेवा में नहीं रह पाएंगे। उपरोक्त कोर्स के लिए मध्य अगस्त, 2017 से पंजीयन प्रारंभ होगा। कोर्स की अवधि 03 अक्टुबर, 2017 से 31 मार्च, 2019 निर्धारित की गई है। निजी विद्यालयों के अप्रशिक्षित शिक्षक/शिक्षिका NIOS एवं MHRD SWYAM प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही प्रशिक्षित होंगे इसके अतिरिक्त किसी निजी संस्थान द्वारा (18 महीना) प्रशिक्षण से संबंधित कोर्स को मान्यता नहीं दी जाएगी।

उपरोक्त शर्त सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक/शिक्षिकाओं पर भी लागू होगा। अप्रशिक्षित सरकारी शिक्षकों की सूची जिला द्वारा इस कार्यालय को पूर्व में उपलब्ध करायी गयी थी जिसे SCERT को भेजी गयी तथा इस सूची के अनुरूप ही विश्व बैंक परियोजना अन्तर्गत दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से D.EL.Ed कोर्स का प्रशिक्षण कराया जा रहा है। इस सूची के अतिरिक्त अगर कोई शिक्षक/शिक्षिका शेष हों तो उसे भी उपरोक्त निर्देश के अनुसार निर्धारित अवधि में प्रशिक्षित होना अनिवार्य है (जिलावार अप्रशिक्षित शिक्षकों की सूची संलग्न)।

अंकित करना है कि निजी विद्यालयों की प्रस्वीकृति आपके द्वारा दी जाती है एवं विस्तृत विवरण भी आपके स्तर से ही संधारित कराया जाता है। इसलिए उपरोक्त संबंधित मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा लिए गए निर्देश का अनुपालन करना अनिवार्य है।

अतः पत्र की छायाप्रति संलग्न करते हुए आग्रह है कि उक्त से संबंधित सभी निजी विद्यालय/सरकारी विद्यालय/सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों को निर्देश देने का कष्ट करना चाहेंगे ताकि कार्यरत अप्रशिक्षित सभी शिक्षक/शिक्षिकाएँ उपरोक्त कोर्स का लाभ ले सकें।

विश्वासभाजन,

अनुलग्नकः यथोक्त।

ह0/–
(संजय सिंह)
राज्य परियोजना निदेशक

शिक्षा का अधिकार
सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

Sanjay Singh, I.A.S
State Project Director

बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्
शिक्षा भवन, राष्ट्रभाषा परिषद परिसर,
सैदपुर, राजेन्द्रनगर, पटना–04

Bihar Education Project Council
Shiksha Bhawan, ashtrabhasha Parishad Campus.
Saidpur, Rajendra Nagar, Patna-04

ज्ञापांक: EFE/40/Part-1/2012-13/ 6581 दिनांक : 8/8/17

प्रतिलिपि: निदेशक, शोध एवं प्रशिक्षण / निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

8/8/17
राज्य परियोजना निदेशक

ज्ञापांक SSA/684 बिहारशरीफ, दिनांक 17 / 08 /2017

प्रतिलिपिः–सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी/सभी प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक सरकारी/निजी विद्यालय एवं संबंधित शिक्षक को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि अपने क्षेत्राधीन अंतर्गत सभी सरकारी/निजी विद्यालयों में कार्यरत अप्रशिक्षित शिक्षकों को निर्धारित समयानुसार प्रशिक्षण हेतु आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

17/8/17
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
प्रा0शि0 एवं सर्व शिक्षा अभियाननालंदा।

शिक्षा का अधिकार
सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

Bapre ar system ALL Sir Folder/ SPD Leter head/ ☎:0612-2667163/2667168, fax: 0612-2667190, Email: ssabihar@gmail.com.

पत्रांक–20/वि०1–12/2013......375

बिहार सरकार

शिक्षा विभाग

प्रेषक,

आर०के०महाजन,भा०प्र०से०
प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक,
सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी।

पटना, दिनांक 16/08/2017

विषय– RTE की धारा 23 (2) में संशोधनोपरान्त राज्य के सभी सरकारी एवं गैरसरकारी विद्यालयों में कार्यरत अप्रशिक्षित शिक्षकों को NIOS के माध्यम से 31.03.2019 तक प्रशिक्षित किये जाने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में अपर सचिव (EE II), विद्यालयी शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक–17–2/2017–EE.17 दिनांक–03.08.2017 के आलोक में सूचित करना है कि संसद द्वारा RTE की धारा 23 (2) में संशोधन करते हुए यह प्रस्ताव पारित कर दिया गया है कि 31.03.2019 तक सभी राज्यों के सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों में कार्यरत अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रारंभिकस्तरीय प्रशिक्षण (D.El.Ed) प्रदान कर दिया जाना है। उक्त अवधि के बाद अर्थात् 01.04.2019 से किसी भी अप्रशिक्षित शिक्षक को सेवा में कार्यरत नहीं रखा जायेगा एवं उन्हें सेवामुक्त करने हेतु कार्रवाई प्रांरभ कर दी जायेगी।

2. उक्त आलोक में भारत सरकार द्वारा उपरोक्त कोटि के सभी अप्रशिक्षित शिक्षकों को अनिवार्य रूप से दूरस्थ शिक्षा (ODL) मोड में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (NIOS) के माध्यम से 18 महीने का D.El.Ed कोर्स हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया जाना है। इस कोर्स में पंजीकरण हेतु SWAYAM Portal (Study Webs of Active Learning for Young Aspiring Mind) तैयार किया गया है, जिस पर सभी प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य द्वारा अपने विद्यालय के अप्रशिक्षित शिक्षक के संदर्भ में सूचनाएँ यथा– शिक्षक का नाम, शिक्षक का मोबाईल नं०, आधार नं०, विद्यालय का यू०डाईस कोर्ड इत्यादि 16.08.2017 से 15.092017 (एक माह) की अवधि में On-Line प्रेषित की जानी है। इसके पूर्व NIOS द्वारा सभी विद्यालयों के प्राचार्य को उक्त विद्यालय का विद्यालय कोड एवं पासवर्ड उपलब्ध कराया जायेगा।

3. दिनांक–02.10.2017 से SWAYAM Portal पर NIOS द्वारा D.El.Ed कोर्स से संबंधित शिक्षण सामग्री अपलोड कर दी जायेगी, जिसका लाभ सभी नामांकित शिक्षक प्राप्त कर सकेंगे। दिनांक–03.10.2017 से यह कोर्स प्रांरभ कर दिया जायेगा।

4. पंजीकरण के क्रम में 6,000/– रूपये प्रति शिक्षक NIOS को उक्त पोटर्ल के माध्यम से अप्रशिक्षित शिक्षक द्वारा On-Line प्रेषित की जानी है।

5. विभाग स्तर पर सम्पूर्ण कार्यक्रम संयुक्त निदेशक, प्राथमिक शिक्षा के सहयोग से संचालित किया जायेगा एवं उनके द्वारा NIOS से समन्वय स्थापित रखा जायेगा। इस निमित्त सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में राज्य स्तर पर एक उच्चस्तरीय समिति भी गठित की जा रही है, जो कार्यक्रम का प्रबोधन करेगी एवं मार्गदर्शन प्रदान करेगी।

6. क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालीय शिक्षा संस्थान (NIOS), बिहार इस कार्यक्रम के नोडल पदाधिकारी नामित किये गये हैं, जिनसे ललित भवन, बेली रोड़, पटना स्थित कार्यालय में आवश्यकतानुसार सम्पर्क किया जा सकता है (दूरभाष 0612–2545051, मो०–09608446434, ई–मेल rcpatna@nios.ac.in)।

7. D.El.Ed कोर्स में नामांकन कराने वाले अप्रशिक्षित शिक्षकों को 50% अंक के साथ कक्षा 12 (+2) उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। वैसे शिक्षक जो उक्त अर्हत्ताधारी नहीं हैं, उन्हें NIOS के माध्यम से ही पुनः कक्षा 12 (+2) की परीक्षा में शामिल होने हेतु अलग से नामांकन कराना होगा।

8. सभी प्रशिणार्थियों को NIOS द्वारा निर्धारित कैलेंडर के अनुसार निर्दिष्ट संस्थान में उक्त अवधि में PCP (Personal Contact Program) में प्रतिभागिता करनी होगी।

अनुरोध है कि अपने जिले के सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों में कार्यरत अप्रशिक्षित शिक्षकों से संबंधित सम्पूर्ण डेटा–बेस की एक प्रति निदेशक, SCERT, बिहार, पटना एवं दूसरी प्रति संयुक्त निदेशक, प्राथमिक शिक्षा को ऑनलाईन 20.08.2017 के पूर्व अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। NIOS के पोटर्ल पर पंजीकरण नहीं कराने वाले अप्रशिक्षित शिक्षकों के संदर्भ में सम्पूर्ण जिम्मेवारी विद्यालय के प्राचार्य एवं अप्रशिक्षित शिक्षक की होगी।

विश्वासभाजन

13/8/17

(आर०के०महाजन)

प्रधान सचिव।

बिहार सरकार
शोध एवं प्रशिक्षण निदेशालय
शिक्षा विभाग

!!अधिसूचना!!

पटना, दिनांक ....

20/वि०1–12/2013............./अपर सचिव (EE II), विद्यालयी शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक–17–2/2017–EE.17 दिनांक–03.08.2017 के आलोक में राज्य के सभी अप्रशिक्षित प्रारंभिक शिक्षकों का राष्ट्रीय मुक्त विद्यालीय शिक्षा संस्थान (NIOS) के माध्यम से प्रदान किये जाने वाले प्रारम्भिकस्तरीय प्रशिक्षण (D.El.Ed) की प्रगति तथा दिनांक–31.03.2019 तक उनका प्रशिक्षण पूर्ण करने संबंधी कार्यक्रम का समन्वय करने हेतु श्री श्रीराम सिंह, सयुक्त निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग बिहार, पटना को राज्य समन्वयक (State Coordinator) घोषित किया जाता है।

राज्य समन्वयक राज्य के सरकारी एवं गैर सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों के सभी अप्रशिक्षित शिक्षकों से संबंधी डाटा बेस का SCERT, बिहार, पटना के सहयोग से NIOS द्वारा विकासित SWAYAM Portal पर समय–सीमा के अन्दर पंजीकरण सुनिश्चित करायेंगे। साथ ही सभी प्रारंभिक विद्यालयों के प्राचार्य द्वारा अपने विद्यालय के अप्रशिक्षित शिक्षकों के संदर्भ में किये जाने वाले On-Line पंजीकरण–प्रक्रिया का भी प्रबोधन करेंगे। इस हेतु वे क्षेत्रीय केन्द्र, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालीय शिक्षा संस्थान, बिहार से समन्वय स्थापित रखेंगे।

राज्य समन्वयक इस कार्यक्रम से संबंधित सरकार द्वारा गठित समिति की समय–समय पर बैठक आयोजित करेंगे तथा समिति द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में अपेक्षित कार्रवाई करेंगे। साथ ही उक्त कार्यक्रम की प्रगति से मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार को अवगत करायेंगे।

ह०/–
(अरशद फिरोज)
उप सचिव

ज्ञापांक– 20/वि०1–12/2013...................... पटना, दिनांक ....

प्रतिलिपिः– अपर सचिव (EE II), विद्यालयी शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शास्त्रीभवन, नई दिल्ली–110015/सदस्य सचिव, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, बिंग 2, हंस भवन, 1 बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली–110002/क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालीय शिक्षा संस्थान (NIOS), ललित भवन, बेली रोड़, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/–
उप सचिव

ज्ञापांक– 20/वि०1–12/2013...................... पटना, दिनांक ....

प्रतिलिपिः–निदेशक, प्राथमिक शिक्षा/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/निदेशक, उच्च शिक्षा/निदेशक (प्र०)–सह–अपर सचिव/राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्, सैदपुर, पटना/राज्य परियोजना निदेशक, बिहार माध्यमिक शिक्षा परिषद्, इन्टरमीडियट कॉन्सिल भवन, बुद्धा मार्ग, पटना/निदेशक, SCERT, बिहार, पटना/निदेशक, जन शिक्षा/निदेशक, शोध एवं प्रशिक्षण/विशेष निदेशक, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/–
उप सचिव

ज्ञापांक– 20/वि०1–12/2013...379... पटना, दिनांक ...16/08/2017

प्रतिलिपिः– सभी क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

16/8/17

उप सचिव

बिहार सरकार
शोध एवं प्रशिक्षण निदेशालय
शिक्षा विभाग

!!अधिसूचना!!

पटना, दिनांक ....

20 / वि०1–12 / 2013............./ अपर सचिव (EE II), विद्यालयी शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक–17–2 / 2017–EE.17 दिनांक–03.08.2017 के आलोक में राज्य के सभी अप्रशिक्षित प्रारंभिक शिक्षकों का राष्ट्रीय मुक्त विद्यालीय शिक्षा संस्थान (NIOS) के माध्यम से प्रदान किये जाने वाले प्रारम्भिकस्तरीय प्रशिक्षण (D.El.Ed) की प्रगति तथा दिनांक–31.03.2019 तक उनका प्रशिक्षण पूर्ण करने संबंधी कार्यक्रम का प्रबोधन करने हेतु शिक्षा विभाग बिहार, पटना में निम्नलिखित रूप में एक समिति गठित की जाती है–

(क) सचिव, शिक्षा विभाग	– अध्यक्ष
(ख) निदेशक, प्राथमिक शिक्षा	– सदस्य
(ग) निदेशक, शोध एवं प्रशिक्षण	– सदस्य
(घ) निदेशक, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्	– सदस्य
(च) संयुक्त निदेशक, प्राथमिक शिक्षा	– सदस्य सचिव–सह–राज्य समन्वयक

उपरोक्त समिति उक्त कार्यक्रम के प्रबोधन के क्रम में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार एवं राष्ट्रीय मुक्त विद्यालीय शिक्षा संस्थान से समन्वय स्थापित करेगी तथा समय–समय पर कार्यक्रम की प्रगति से अवगत करायेगी।

ह० / –
(अरशद फिरोज)
उप सचिव

ज्ञापांक– 20 / वि०1–12 / 2013...................... पटना, दिनांक ....

प्रतिलिपिः– अपर सचिव (EE II), विद्यालयी शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शास्त्रीभवन, नई दिल्ली–110015 / सदस्य सचिव, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, बिंग 2, हंस भवन, 1 बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली–110002 / क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालीय शिक्षा संस्थान (NIOS), ललित भवन, बेली रोड़, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह० / –
उप सचिव

ज्ञापांक– 20 / वि०1–12 / 2013..................... पटना, दिनांक ....

प्रतिलिपिः–निदेशक, प्राथमिक शिक्षा / निदेशक, माध्यमिक शिक्षा / निदेशक, उच्च शिक्षा / निदेशक (प्र०)–सह–अपर सचिव / राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्, सैदपुर, पटना / राज्य परियोजना निदेशक, बिहार माध्यमिक शिक्षा परिषद्, इन्टरमीडियट कॉन्सिल भवन, बुद्धा मार्ग, पटना / निदेशक, SCERT, बिहार, पटना / निदेशक, जन शिक्षा / निदेशक, शोध एवं प्रशिक्षण / विशेष निदेशक, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह० / –
उप सचिव

ज्ञापांक– 20 / वि०1–12 / 2013......380...... पटना, दिनांक 16/08/2017

प्रतिलिपिः– सभी क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक / सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

16/8/17
उप सचिव